A.B.P. 2123/2020

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम, गोपालगंज

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या . 2123/2020</u>

1. किशन कुमार साह उर्फ राम किशुन साह

2. नगीना साह,

3. लक्षमन साह,

4. कुमरावती देवी .....आवेदकगण

बनाम

<u>बिहार सरकार.....विपक्षी पक्ष</u>

आवेदकगण के तरफ से श्री मृत्युंजय कुमार तिवारी, अधिवक्ता ।

विपक्षी बिहार सरकार के तरफ से श्री देव वंश गिरि, लोक अभियोजक

<u>19.01.2021</u>

आवेदक किशन कुमार साह उर्फ राम किशुन साह, नगीना साह, लक्षमन साह, कुमरावती देवी जो परिवाद पत्र संख्या 2667/2019 विचारण संख्या 2431/20 अन्तर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता के अभियुक्त हैं, के तरफ से अपने गिरफ्तारी होने की आशंका के कारण दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया ।

उभय पक्ष को सुना ।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है । केवल रूपया ऐठने के लिए झूठा केस कर दिया है । आवेदकगण के विरूद्ध कोई विशिष्ट अभियोग नहीं है । आवेदकगण आज भी परिवादनी को सम्मान के साथ रखने को तैयार है । परिवादनी ही अपने पति के साथ ससुराल में रहना नहीं चाहती है । आवेदकगण ने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है । आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाये ।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के अग्रिम जमानत का विरोध किया गया ।

परिवादनी काजल देवी उर्फ केदल देवी का वाद संक्षेप में यह है कि उसकी शादी दिनांक 05.06.17 को किशन कुमार साह के साथ हुई,

A.B.P. 2123/2020

लगातार 19.01.21

बिदाई के समय ही मुदालह लोग दहेज में हीरो मोटरसाईकिल की मांग करने लगे तथा समझाने पर बिदाई कराये । शादी के बाद मोटरसाईकिल नहीं मिलने के कारण परिवादनी को प्रताड़ित करते हुए मारपीट करने लगे । मुदालहम लोग 2018 में दिवाली के दिन परिवादनी को जलाने का प्रयास किया तथा हल्ला पर अगल बगल के लोग आये तो परिवादनी को घर से निकाल दिये । परिवादनी मायके आकर भाई को बतायी तो भाई गवाह के साथ बहन की ससुराल गया तो सभी मुदालह मोटरसाईकिल मिलने तक परिवादनी का रखने से इनकार कर दिये ।

कांड दैनिकी एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि आवेदकगण पर दहेज में मोटरसाईकिल नहीं मिलने के कारण परिवादनी को प्रताड़ित करते हुए घर से निकाल देने का अभियोग है । आज सूचिका और उसका पति आवेदक संख्या 1 न्यायालय में उपस्थित है । परिवादनी को उसका प्रति आवेदक संख्या 1 अपने साथ ले जाने को तैयार है तथा ले जा रहा है । मेरे विचार में आवेदकगण को औपबंधिक अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित प्रतीत होता है ।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रत्येक आवेदक के तरफ से मो0 **दस-दस हजार** रूपये का बंध पत्र साथ उसी समान राशि के **दो-दो** प्रतिभू दाखिल करने पर तथा निम्न न्यायालय के संतुष्टि पर आवेदक के गिरफ्तार होने पर या आज की तिथि से ***पंद्रह दिनों*** के अन्दर आत्मसमर्पण करने पर अन्तर्गत धारा 438(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दिनांक 19.02.21 तक औपबंधिक रूप से अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है ।

अपर सत्र न्यायाधीश पंचम,

गोपालगंज ।

प्रतिलिपिः- अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी नवम, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

अपर सत्र न्यायाधीश पंचम